न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 06/21 (अपील)
GCMS No. : 2021/258

अनवान्

1. श्रीमती मुन्नी उर्फ मन्जु पिता मोहनलाल पत्नी परसराम बडगुर्जर निवासी मावली तहसील मावली।

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री रतनदास पिता शंकरदास वैरागी वैष्णव निवासी केसुली तहसील नाथद्वारा।
2. श्री लोगरलाल पिता कुका डांगी निवासी मनवाखेडा तहसील गिर्वा।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. मावली, बाबत ना. सं. 4099 दि. 05.04.2018

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.07.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की नामान्तरकरण संख्या 4099 में वर्णित आराजी नम्बर 2173, 2470, 2471, 2171 के सम्बन्ध में घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उप जिला कलेक्टर मावली में प्रकरण संख्या 227/11 वाद अपीलान्ट ने दिनांक 22.07.2011 को प्रस्तुत किया जो आज भी विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 07.09.2021 को नियत है तथा उक्त वाद के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का भी दिनांक 22.07.2021 को पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 179/11 प्रार्थना पत्र है। उक्त प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 22.07.2021 को उक्त भूमि को बिकाव नहीं करने बाबत् स्थगन आदेश भी जारी किया था। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को थी फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 11.07.2011 को नुमाईशी विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त विवादित आराजीयांस न्यायालय स्थगन होते हुए विक्रय कर दी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.0.2018 को नामान्तरण खोल दिनांक 05.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये व बिना अपीलान्ट को सुने कथित आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विचाराधीन होते हुए कथित नामान्तरण को स्वीकार किया है जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि कानूनन जहां पक्षकारों के मध्य रेगुलर घोषणा का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो नामान्तरण जैसी समरी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व कानून से परे जाकर कथित नामान्तरण स्वीकार किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं। न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 179/11 प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा स्थगन होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त आराजीयात नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर दी तथा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये कथित नामान्तरण स्वीकृत किया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कब्जे की जांच किये ही कथित आदेश पारित कर दिया जबकि विवादित आराजीयात पर कब्जा आज भी अपीलान्ट का है क्योंकि न्यायालय उप जिला कलेक्टर मावली द्वारा प्रकरण संख्या 179/2011 प्रार्थना पत्र में तहसीलदार मावली द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें भी कब्जा अपीलान्ट का हैं। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कब्जे की जांच किये कथित आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

4. यह कि कानूनन जहां पक्षकारों के मध्य रेगुलर वाद विचाराधीन हो वहां नामान्तरण जैसी समरी कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि पक्षकारों के हक व अधिकार कानूनन रेगुलर वाद में ही साक्ष्य के आधार पर ही तय किये जा सकते हैं। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन होते हुए नामान्तरण की फिसकल प्रोसिडींग की कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को विवादित नामान्तरण को खोलने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर कथित आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो कथित नामान्तरण में वर्णित आराजीयात के संबंध में जांच की है, न ही कब्जे के संबंध में या न्यायालय में विचाराधीन वाद के संबंध में कोई जांच की है, न अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण स्वीकार करने से पूर्व कोई सूचना दी है, न अपीलान्ट को सुना है, बिना अपीलान्ट को सुने व बिना अपीलान्ट को सूचना दिये तथा बिना कब्जे की जांच किए कथित नामान्तरण स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की हैं। इसलिए भी कथित नामान्तरण निरस्त होने योग्य है क्योंकि आज भी कब्जा अपीलान्ट का है व रेस्पोडेन्ट स्ट्रेजर प्रचेजर है व बिना बंटवाडा कराए संयुक्त खातेदारी की भूमि पर स्ट्रेजर प्रचेजर को कब्जा करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं हैं।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना माईन्ड एप्लाई किए बिना केवल मात्र कयासों के आधार पर कथित नामान्तरण स्वीकार किया है जो निरस्त होने योग्य हैं। अपील काबिल समायत न्यायालय आप है अन्य उजर वक्त बहस अर्ज किए जाएगे। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित नामान्तरण संख्या 4099 ग्राम मावली निरस्त फरमाया जावे तथा इस अपील का खर्चा रेस्पोडेन्ट से अपीलान्ट को दिलाया जावें।
6. **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया** कि नामान्तरण संख्या 4099 में वर्णित आराजी नम्बर 2173, 2470, 2471, 2171 के सम्बन्ध में घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उप जिला कलेक्टर मावली में प्रकरण संख्या 227/11 वाद अपीलान्ट ने दिनांक 22.07.2011 को प्रस्तुत किया जो आज भी विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 07.09.2021 को नियत है तथा उक्त वाद के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का भी दिनांक 22.07.2021 को पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 179/11 प्रार्थना पत्र हैं। उक्त प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 22.07.2021 को उक्त भूमि को बिकाव नहीं करने बाबत् स्थगन आदेश भी जारी किया था। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को थी फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 11.07.2011 को नुमाईशी विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त विवादित आराजीयात न्यायालय का स्थगन होते हुए विक्रय कर दी व नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.03.2018 को नामान्तरण खोल दिनांक 05.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये व बिना अपीलान्ट को सुने कथित आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये नामान्तरण को स्वीकार किया है जो विधि विरूद्व होकर निरस्त होने योग्य है अपीलान्ट को कथित नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

की सूचना नहीं दी गई, न ही अपीलान्ट को सुना गया था। ऐसी अवस्था में इस नामान्तरण से अपीलान्ट प्रभावित है। अतः अपीलान्ट इस नामान्तरण की अपील प्रस्तुत करना चाहती है जिसके लिए न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता है जो न्यायहित में दी जाना आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलान्ट को ग्राम पंचायत मावली के आदेश तारीख 05.04.2018 बाबत् नामान्तरण नम्बर 4099 ग्राम पंचायत मावली के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की इजाजत बक्षायी जावें।

7. **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया** कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत घोषणा, बंटवाडा, निषेधाज्ञा के वाद में नकल की आवश्यकता होने से अपीलान्ट पटवारी के पास खाते की नकल लेने दिनांक 20.07.2021 को गई तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त जमीन का नामान्तरण संख्या 4099 खुल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकृत हो गया है जिससे जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज है तो उसी समय नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता को बताई तो अधिवक्ता ने बताया कि नामान्तरण की अपील करनी पडेगी तो अपीलान्ट ने अपील के खर्चे की व्यवस्था कर आज अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मयाद हैं। कथित नामान्तरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने में अपीलान्ट ने जानबुझकर कोई देरी नहीं की है तथा न्याय के लिए देरी के समय को कण्डोन कराया जाना आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है।

9. प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस अपील के अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण नम्बर 4099 तारीख 05.04.2018 का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरण नम्बर 4099 पारित होने के पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

लगभग 3 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 20.07.2021 को हुई। न्यायालय उक्त कथन से संतुष्ट नही है क्योंकि उभय पक्षकारान का विवाद न्यायालय में विचाराधीन था। ऐसे में अपीलाण्ट स्वयं का कर्तव्य था की समय समय पर राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी रखें। साथ ही नामान्तरकरण का अवलोकन करने से जाहीर आया की उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2011 के आधार पर पारित किया गया है। अर्थात भूमि का विक्रय दिनांक 11.07.2011 को हो चुका था। जबकि विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.07.2011 को जारी की गई थी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन की प्रति दिनांक 22.07.2011 का भी अवलोकन करने से जाहीर आया है कि विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा केवल इस आशय की जारी की गई थी की वादग्रस्त भूमि का विक्रय नही करें। जबकि वादग्रस्त भूमि का विक्रय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से पूर्व ही हो चुका था तथा राजस्व रिकॉर्ड के यथास्थिति के संबंध में कोई स्थगन नही था। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 22.07.2011 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही था। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि अपीलाण्ट द्वारा जिस स्थगन के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है वह पत्रावली वर्तमान में विचाराधीन नही है अर्थात फैसल हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान में स्थगन भी प्रभावी नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested